**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3973**

**2 अप्रैल, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**वस्त्र क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति की कमी**

**3973. श्री प्रभात झाः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** क्या वस्त्र क्षेत्र में कुशल श्रम शक्ति की कमी रही है और इसे प्रभावी रूप से दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एकीकृत कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत न्यूनतम प्लेसमेंट भी अनिवार्य किया गया है;

**(ख)** यदि हां, तो **तत्संबंधी** ब्यौरा क्या है;

**(ग)** क्या उपरोक्त के सन्दर्भ में राज्य-वार/क्षेत्र-वार लक्ष्य भी निर्धरित किए गए हैं और क्या लक्ष्य के अनुरूप क्रियान्वयन की उपयुक्त निगरानी किए जाने की भी व्यवस्था की गई; और

**(घ)** यदि हां, तो **तत्संबंधी** ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** जी, हां। वस्‍त्र क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति की कमी रही है। वस्‍त्र क्षेत्र की कुशल श्रमशक्ति की आवश्‍यकता को पूरा करने के उद्देश्‍य से मंत्रालय ने मजदूरीपरक रोजगार में न्‍यूनतम 70% रोजगार के मापदंड वाली एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) नामक रोजगार संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम को 30.11.2017 तक क्रियान्वित किया है जिसके अंतर्गत आज तक 11,14,460 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।

वस्‍त्र मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में एक विस्‍तृत स्‍किल गैप अध्‍ययन किया था जिसमें वर्ष 2020 तक संगठित वस्‍त्र क्षेत्र में लगभग 62.12 लाख अतिरिक्‍त रोजगार की आवश्‍यकता का अनुमान लगाया गया था। इस अध्‍ययन में 30.56 लाख लोगों की कौशल आवश्‍यकता (300 से अधिक घंटों की अवधि) का भी अनुमान लगाया था जिसमें से 23.89 लाख अपैरल क्षेत्र की आवश्‍यकता है। वस्‍त्र उद्योग में कौशल की कमी की समस्‍या के समाधान के लिए वस्‍त्र मंत्रालय के प्रयासों को जारी रखने के उद्देश्‍य से सरकार ने 1300 करोड़ रुपए के परिव्‍यय से वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्‍त्र क्षेत्र की समग्र मूल्‍य श्रृंखला के लिए ‘वस्‍त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (एससीबीटीएस)’ नामक एक नई योजना का अनुमोदन किया है। योजना के उद्देश्‍यों में अन्‍य बातों के साथ-साथ संगठित वस्‍त्र और संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्‍साहित करने और सहायता करने और परंपरागत क्षेत्रों में कौशल विकास और कौशल उन्‍नयन के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के अनुकूल मांग आधारित, रोजगार उन्‍मुख राष्‍ट्रीय कौशल पात्रता फ्रेमवर्क (एनएसक्‍यूएफ) प्रदान करना शामिल है। योजना के अंतर्गत 10 लाख व्‍यक्तियों (संगठित क्षेत्र में 9 लाख और परंपरागत क्षेत्र में 1 लाख) को प्रशिक्षित किया जाएगा।

**(ग) और (घ):** आईएसडीएस की भांति एससीबीटीएस को बिना किसी राज्‍य अथवा क्षेत्र-वार लक्ष्‍यों के मांग के आधार पर अखिल भारतीय स्‍तर पर लागू किया जाएगा। इस योजना की मॉनीटरिंग सचिव (वस्‍त्र) की अध्‍यक्षता में अधिकार प्राप्‍त समिति द्वारा की जाएगी। योजना पर निगरानी रखने तथा क्रियान्‍वयन के लिए एक केंद्रीयकृत वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को लागू किया जाएगा।

\*\*\*\*